न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1185–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–04–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर रीवा प्रकरण कमांक 275/ए–12/2011–12.

सुग्रीव प्रसाद तनय श्री जवाहर लाल गुप्ता
निवासी चाक, तहसील त्योंथर
जिला रीवा, म0प्र0

——आवेदक

विरूद्ध

1. दिवाकर सिंह तनय लालबहादुर सिंह
निवासी गंभीरवा तहसील त्योंथर
जिला रीवा म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन

——अनावेदकगण

श्री अंजनी सोनी, अभिभाषक, आवेदक

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 21/1/2016 2016)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 11–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में मौजा बघेड़ी तहसील त्योंथर स्थित भूमि सर्वे कमांक 22/1/3 एवं 22/17/1 के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने के

आदेश दिये। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 27–11–12 को सीमांकन किया जिसपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 09–2–12 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11–4–12 को भू–राजस्व संहिता में हुये संशोधन के अनुसार अधिकारिता रहित होने से अग्राह्य किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क है कि आवेदक को सीमांकन हेतु दिनांक 20–11–11 का सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त दिनांक को सीमांकन न कर दिनांक 27–11–11 को आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही संपादित कर दी गई। यह भी तर्क किया कि आवेदक द्वारा तहसीलदर के समक्ष आपत्ति किये जाने पर तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है। तर्क में यह भी कहा कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में नवीन संशोधन का ज्ञान न होने से त्रुटिवश अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया, जो अग्राह्य हुआ है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक की उपस्थिति में पुनः सीमांकन किये जाने के आदेश दिये जायें।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक ने आवेदक सहित सभी सरहदी कास्तकारों को दिनांक 20–11–11 को सीमांकन किये जाने हेतु सूचित किया गया है, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त दिनांक को सीमांकन कार्यवाही संपादित नहीं की गई। तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न पंचनामा एवं सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20–11–11 को सीमांकन हेतु सूचना पत्र जारी के बावजूद दिनांक 27–11–11 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही संपादित की

गई है। जबकि दिनांक 27–11–11 को सीमांकन किये जाने संबंधी किसी प्रकार की सूचना जारी करना अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई उक्त कार्यवाही वैधानिक रूप से उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि सीमांकन की कार्यवाही सभी हितबद्ध सरहदी कास्ताकारों की उपस्थिति में किये जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अपने अंतिम आदेश में आवेदक की आपत्ति पर बिना विचार किये निरस्त कर सीमांकन की पुष्टि करने में त्रुटि की है। तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति का सकारण निराकरण नहीं किया है। जहां विधि एवं प्रकिया की त्रुटि की गई हो ऐसे आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता है। अतः तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार त्योंथर जिला रीवा का आदेश दिनांक 09–2–12 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पुनः सभी सरहदी कास्तकारों की उपस्थिति में संहिता की धारा 129 की प्रकिया का पालन कर विधिवत सीमांकन आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर